न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2017/00239

1. बंशीधर पुत्र गोपी अहीर
2. कालू पुत्र गोपी अहीर समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय चौमू जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर प्रार्थना पत्र सख्या 57/2015 उनवानी कालूराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार।

उपस्थित–

1. श्री कैलाश बागडा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 31.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 15.06.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम नांगलकलां तहसील चौमू जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1035/1201 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 1.20 है0, खसरा नं. 1038/1237 रकबा 1.08 है0 का दौराने सेटलमेंट राजस्व नक्शें में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 15.06.2016 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स बंशीधर पुत्र गोपी अहीर वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी चौमू दिनांक 15.06.2016 निरस्त करने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1035/1201 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1038/1237 रकबा 1.08 हैक्टेयर ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है जिनके गत खसरा नम्बर 512 मिन व 513 है, जिस पर अपीलान्ट्स के पूर्वज व अपीलान्ट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी कर रहे है तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट्स की भूमि की उक्त खसरा नम्बरों की सीमाओं को काफी कम कर दिया गया तथा वर्तमान नक्शे को नाप के अनुसार नहीं बनाया जाकर नये तरीके से बना दिया गया जो विधि विरूद्ध है तथा अपीलान्ट्स की काफी भूमि वर्तमान नक्शे से बाहर कर दी गई है। भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अपीलान्ट्स की खातेदारी को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने ही नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शे अनुसार नहीं बनाया जाकर दक्षिण दिशा की ओर नक्शे को कम कर दिया गया, जिसका गलत होना प्रथम दृष्ट्या नक्शे से ही स्पष्ट है जो हक अधिकारों के विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजीयात् के नक्शे को पूर्व नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी भी खातेदार के नक्शे व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। नक्शे में तरमीम व सीमायें घटने बढ़ाने का कोई हक, अधिकार अपीलान्ट्स को सुने बिना नहीं था तथा भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलान्ट्स को नक्शे में परिवर्तन किया है तथा घटाया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है जो दुरूस्त किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 15.06.2016 को पत्रावली वास्ते तलबी हेतु नियत थी परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट्स को बिना सुने तथा बिना सूचना दिये ही अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ग्राम नांगलकलां के खसरा नम्बर 1035/1201/1223 में से 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1035/1201 में शामिल होगी जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर ना कर अपना मनमाना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। राजस्व नक्शे को दुरूस्त किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की गयी है उसके विपरीत जाकर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर 15.06.2016 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के प्रावधानों एवं पहलुओं पर विचार कर ही प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र धारा–136 की परिधि में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 14.12.2016 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्राप्त होने पर जॉच रिपोर्ट भूमिधारी तहसीलदार चौमू से प्राप्त की गई। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/16/2116 दिनांक 02.06.2016 के साथ संलग्न उपतहसीलदार गोविन्दगढ की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.04.2016 के अनुसार ''सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1035/1201 रकबा 1.23 है0, खसरा नम्बर 1038 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 1038/1237 रकबा 1.08 है0 का नक्शा गत खसरा नम्बर 512 एवं 513 से बनाया है जो गलत बनाया है। खातेदार का सेटलमेंट के दौरान खतौनी बन्दोबस्त में क्षेत्रफल गत सेटलमेंट के अनुसार दर्ज कर दिया लेकिन नक्शा शीट गत सेटलमेंट नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया। जो कि खसरा नम्बर 1035/1201/1223 में से 0.08 है0 कम होकर खसरा नम्बर 1035/1201 में शामिल किया जाना उचित होगा तथा वर्तमान नक्शे में गत नक्शे के अनुसार तरमीम की जाती है तो वादीगण के हाल व गत नक्शे में समानता आ जायेगी तथा वादीगण का नक्शा मुताबिक सेटलमेंट खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार हो जायेगा एवं किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।''

अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजीयात् के नक्शे को पूर्व नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया है। जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है। जमाबंदी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में आती है तथा उसकी प्रवष्टि के अनुसार आनुषंगिक राजस्व नक्शे को दुरूस्त रखा जाना भू–अभिलेख का कर्तव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नांगलकलां में अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गए उपर्युक्त आदेश के अवलोकन मात्र से ही यह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्पष्ट है कि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का ना तो अवलोकन किया गया है तथा ना ही कोई न्यायिक विवेचन किया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 15.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार, गत एवं वर्तमान नक्शे का अवलोकन करते हुये तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(र[illegible] गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।